

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)

एएचपी के तहत लाभार्थी द्वारा सेल्फ अंडरटेकिंग

मैं _____ (लाभार्थी का पूरा नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
 (माता-पिता/पति का नाम) जन्मतिथि _____
 वर्तमान में निवासी _____
 (पता) _____
 (शहर/कस्बे का नाम) _____
 राज्य _____ मोबाइल/संपर्क नंबर) _____
 (आधार नंबर) _____

एतद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ और निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ :-

1. कि मेरे नाम पर या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं है।
2. कि मैं ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित हूँ और सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रु. (केवल तीन लाख रुपये) तक है।
3. कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत लाभ नहीं उठाया है।
4. कि मैं पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अपने आवास के निर्माण के लिए पीएमएवाई-2.0 योजना के तहत समझौते में उल्लेखित निर्धारित समय अवधि के भीतर अपने हिस्से की राशि का योगदान करने के लिए तैयार हूँ।
5. कि मैं पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत निर्मित अपने आवास के पूरा होने/पंजीकरण/आवंटन/कब्जे की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक आवास की बिक्री/हस्तांतरण नहीं करूँगा/करूँगी।
6. कि मैं पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के अंतर्गत निर्मित आवास का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए करूँगा/करूँगी और किसी भी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
7. कि मैं पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी।
8. कि मैंने पीएमएवाई-यू 2.0 के किसी अन्य घटक के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है/लाभ नहीं उठाया है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं यह भी समझता/समझाती हूँ कि पात्रता के संबंध में गैर-अनुपालन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने से मैं न केवल योजना से अयोग्य घोषित किया जाऊँगा/जाऊँगी बल्कि पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के तहत पहले से प्राप्त किसी भी लाभ की वसूली के साथ-साथ इसके कानूनी परिणाम भी होंगे।

हस्ताक्षर

नाम

तिथि

स्थान